दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली+

रि.या.(सि.) 763/2014

निर्णय की तिथि: 06 फरवरी, 2014

सुभाष चंद्रा ....याचिकाकर्ता

के माध्यम से: श्री अनिल शंकर प्रसाद और
श्री संजय कुमार भारती,
अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

के माध्यम से: श्री हशमत नबी, अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. सुश्री गीता मित्तल (मौखिक)

1. रिट याचिका में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर मू.आ.सं. 1659/2012 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह समय-सीमा द्वारा वर्जित है। याचिकाकर्ता ने

न्यायाधिकरण के समक्ष मू.आ.सं. 1659/2012 के माध्यम से निम्नलिखित प्रार्थनाएं की थीं:

(i) प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा पारित दिनांक 17.7.2006 के आक्षेपित आदेश को रद्द/ख़ारिज किया जाए, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपील का निपटान किया गया था।

(ii) प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा पारित दिनांक 25.8.2003 के आदेश को रद्द/ख़ारिज किया जाए, जिसके तहत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निंदा का जुर्माना लगाया गया था।

(iii) प्रत्यर्थीगण को वित्तीय उन्नयन योजना के अंतर्गत दिनांक 9.8.1999 से बकाया राशि सहित प्रथम ए.सी.पी. प्रदान करने तथा पात्रता की तिथि से दिनांक 1.1.2002 से द्वितीय ए.सी.पी. प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

(iv) इसके अलावा प्रत्यार्थीगण को दिनांक 29.1.2004 के बजाय दिनांक 16.7.2001 से पदोन्नति प्रदान करने और मौजूदा नियमों के अनुसार आवेदक को मिलने वाले वित्तीय लाभों के लिए उसकी 3 साल की वरिष्ठता की गणना करने का निर्देश दिया जाता है।

(v) प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को उपर्युक्त अनुच्छेदों में मांगी गई राहत के अनुसार निर्धारित करें और उसके बकाया का तुरंत भुगतान करें।

(vi) आवेदन की लागत आवेदक के पक्ष में दी जाएगी।

(vii) कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।"

2. आक्षेपित आवेदन के साथ, याचिकाकर्ता ने दावा करने में हुई देरी को उचित ठहराने के लिए बीमारी का हवाला देते हुए चुनौती उठाने में हुई देरी को माफ करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

3. हमारे समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वह प्रत्यर्थीगण द्वारा उसकी पेंशन को सही ढंग से निर्धारित करने के नियमों के उल्लंघन से व्यथित है, जिसमें 9 अगस्त, 1999 से प्रभावी प्रथम ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय लाभों के साथ-साथ 1 जनवरी, 2002 से प्रभावी द्वितीय ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय लाभों से इनकार करने के आधार पर उसकी पात्रता को ध्यान में रखा गया है।

4. हमारे समक्ष यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व या आवेदन के माध्यम से कोई शिकायत नहीं की। इस संबंध में राहत 1 मई, 2012 को सीमा अवधि के कारण पूरी तरह से वर्जित कर दी गई थी, जब याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी और उपरोक्त राहत की मांग की थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आज हमारे समक्ष दलील दी है कि याचिकाकर्ता आज उन वित्तीय लाभों की मांग नहीं कर रहा है, जिनके वह हकदार थे। उन्होंने चुनौती को ए.सी.पी. के तहत लाभों से इनकार करने तक ही सीमित रखा है, जहां तक कि वे उनकी पेंशन के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रार्थना सं. (V) जो न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है, सीधे इस दावे से संबंधित थी।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि जहां तक पेंशन के निर्धारण और पेंशन की सही राशि से इनकार करने का संबंध है, सीमा कानून के आवेदन द्वारा व्यक्ति के रूप में राहत पर विचार करने और उसे प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रस्तुति के समर्थन में ***(2008) 8 सुप्रीम कोर्ट केस 648*** जिसका शीर्षक ***यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम तरसेम सिंह*** है, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

6. जहां तक विलंबित दावे का संबंध है, लागू सिद्धांत इस घोषणा के पैरा 7 में निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> "संक्षेप में, सामान्यतः, विलम्बित सेवा से संबंधित दावे को विलंब और लापरवाही (जहां रिट याचिका दायर करके समाधान मांगा जाता है) या सीमा (जहां प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आवेदन करके समाधान मांगा जाता है) के आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। उक्त नियम का एक अपवाद निरंतर गलत कार्य से संबंधित मामले हैं। जहां सेवा संबंधी दावा किसी निरंतर गलत कार्य पर आधारित है, वहां राहत प्रदान की जा सकती है, भले ही उपचार मांगने में काफी विलंब हो गया हो, उस तारीख के संदर्भ में जिस दिन निरंतर गलत कार्य शुरू हुआ, यदि ऐसा निरंतर गलत कार्य क्षति का निरंतर स्रोत बनता है। लेकिन अपवाद का भी एक अपवाद है। यदि शिकायत किसी ऐसे आदेश या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में है जो कई अन्य लोगों से संबंधित या प्रभावित है, और यदि मामले को फिर से खोलने से तीसरे पक्ष के तय अधिकारों पर असर पड़ेगा, तो दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि मामला वेतन या पेंशन के भुगतान या पुनर्निर्धारण से संबंधित है, तो देरी के बावजूद राहत प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इससे तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं होते। लेकिन यदि दावे में वरिष्ठता या

पदोन्नति आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, तो देरी से दावा निरर्थक हो जाएगा और विलंब/सीमा का सिद्धांत लागू होगा। जहां तक पिछली अवधि के बकाया की वसूली के परिणामस्वरूप राहत का सवाल है, आवर्ती/क्रमिक गलतियों से संबंधित सिद्धांत लागू होंगे। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय बकाया से संबंधित परिणामी राहत को सामान्यतः रिट याचिका दायर करने की तिथि से तीन वर्ष पहले की अवधि तक प्रतिबंधित करेंगे।"

इसी प्रकार के कई अन्य उदाहरण भी मौजूद हैं।

7. इसलिए यह बात सामान्य है कि जहां तक वरिष्ठता या पदोन्नति के मुद्दों से जुड़े दावों का संबंध है, जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, वे पुराने हो जाएंगे और ऐसी विलम्बित चुनौतियों के मामले में सीमा का सिद्धांत लागू होगा। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इन्हें गलत तरीके से अस्वीकार किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यायालय इस पर विचार करेगी। हालांकि, बकाया राशि की राहत न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय लागू करने की तारीख से तीन साल पहले की अवधि तक ही सीमित होगी।

8. याचिकाकर्ता की चुनौती और इस मामले में उसकी प्रार्थनाओं पर इन सिद्धांतों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. लाभ से वंचित करने और गलत तरीके से निर्धारण करने के परिणामस्वरूप उसके सभी परिलब्धियों और अधिकारों का गलत निर्धारण होगा। यदि ऐसी परिलब्धियाँ सही ढंग से निर्धारित की गई होतीं, तो सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता की पेंशन भी उचित रूप से निर्धारित

की जा सकती थी, शायद उस राशि पर जिस पर प्रत्यार्थीगण द्वारा उसे हकदार पाया गया है। हमारे समक्ष याचिकाकर्ता 31 जनवरी, 2005 को सेवानिवृत्त हुए।

9. इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा क्रम संख्या (i) से (iv) में की गई प्रार्थनाएं संबंधित हैं, वे निश्चित रूप से समय-सीमा द्वारा वर्जित हैं। हमारे समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता इन राहतों पर जोर नहीं देगा। याचिकाकर्ता इस दलील से बंधा रहेगा और जहां तक क्रम संख्या (i) से (iv) तक की प्रार्थनाओं का संबंध है, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, तथ्यात्मक चुनौती, जिसके आधार पर ये प्रार्थनाएँ की गई थीं, अभी भी मौजूद है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि क्रम सं. (V) में की गई प्रार्थना पर विचार करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता को मिलने वाली राहत को उचित रूप से निर्धारित करने के लिए भी इस पर विचार करना आवश्यक है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को पारित आदेश, जिसमें मू.आ.सं.1659/2012 को सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था, को अपास्त और अभिखंडित किया जाता है। न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में तथा हमारे द्वारा विस्तृत रूप से बताए गए मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

11. प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. योजनाओं से इनकार करने के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई चुनौती पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, भले ही न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता की चुनौती को बरकरार रखता है, याचिकाकर्ता वित्तीय लाभ प्रदान करने का हकदार नहीं होगा।

12. जहां तक वित्तीय लाभों का सवाल है, विचार याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन के माध्यम से न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने से पहले तीन साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की पेंशन के निर्धारण की शुद्धता के मुद्दे तक ही सीमित रहेगा।

13. दोनों पक्ष निर्देशों के लिए दिनांक 26 फरवरी, 2014 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निबंधक के समक्ष उपस्थित होंगे।

14. उपरोक्त शर्तों में इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

15. पक्षकारों को दस्ती की गई।

न्या. सुश्री गीता मित्तल

न्या. सुश्री दीपा शर्मा

फरवरी 06, 2014 *आरबी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*